

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक-3/पी.एम.सी./विविध/03/2015/पार्ट-II राँची, दिनांक-.....

प्रेषक:

ई. मुक्ति साधन चौरसिया,
उप सचिव (अभियंत्रण)

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड,
पो.-हिन्नु राँची।

द्वारा: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय: जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन लघु सिंचाई प्रमंडल खूँटी के अधीन विश्व बैंक सम्पोषित बिहार पठारी विकास परियोजना के Package No-48 Agreement No-08/97-98 के अन्तर्गत कराये कार्य के अवशेष भुगतान हेतु रु० 44,949/- (रुपये चौवालीस हजार नौ सौ उनचास) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

2. जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन लघु सिंचाई प्रमंडल खूँटी के अधीन विश्व बैंक सम्पोषित बिहार पठारी विकास परियोजना के Package No-48 Agreement No-08/97-98 के अन्तर्गत कराये कार्य के अवशेष भुगतान हेतु रु० 44,949/- (रुपये चौवालीस हजार नौ सौ उनचास) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. विश्व बैंक सम्पोषित बिहार पठारी विकास परियोजना के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, खूँटी के अड़की प्रखण्ड अन्तर्गत सिरकाडीह, सुराकोटा, सोनापुर, बान्दुगोड़ा, हुँट, सोसोकुटी के जिर्णोद्धार कार्य Package No-48 Agreement No-08/97-98 द्वारा M/S Himachal Construction Co. Pvt. Ltd को वर्ष 1997 में आवंटित किया गया, जिसकी एकरारित राशि रु० 1,32,76,474.00 मात्र थी।
4. एकरारनामा के तहत कराये कार्य के विरुद्ध दिनांक 29.03.2000 तक रु० 1,39,76,873.66 मात्र का भुगतान हुआ।
5. संवेदक द्वारा एकरारनामा के Clause 24.1 General Condition of Contract के तहत Hon'ble Adjudicator के समक्ष Price Adjustment हेतु लाया गया। जिसपर Adjudicator द्वारा असहमति व्यक्त की गयी। संवेदक द्वारा इस मामले में पुनः Rejoinder दाखिल करने पर Adjudicator द्वारा Conditional Order के साथ मुख्य अभियंता को निर्णय हेतु अधिकृत किया गया।
6. इस मामले में संवेदक के बकाये भुगतान हेतु मुख्य अभियंता द्वारा गठित पाँच सदस्य समिति द्वारा संवेदक के बकाये राशि एवं Price Escalation के दावों पर विचार किया गया एवं संवेदक को उनके बकाये रु० 44,949/- मात्र के भुगतान पर सहमति व्यक्त की गयी।
7. वर्तमान में संवेदक द्वारा Learned Court of Sub-Judge, Khunti के समक्ष Original Money Suit No-08/2016 दायर किया गया है, जिसमें रु० 1,53,91,154/- मात्र के भुगतान का दावा किया गया है। इस दावे में Price Adjustment, Refund of Sales Tax, Interest on Delayed Payment के साथ-साथ Principal Dues Rs. 44,949/- को रखा गया है। Money Suit में विभागीय पक्ष दायर किये जाने के पूर्व संवेदक के Principal Dues जिस पर उसकी सहमति भी है का भुगतान किया जाना, वाद की दृष्टि से विभाग के हित में है।
8. उपरोक्त कंडिकाओं के आलोक में रु० 44,949/- का भुगतान की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

9. इस कार्य पर होने वाला व्यय बजट शीर्ष "मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना 20-पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्मोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य के अन्तर्गत भारित किया जा सकेगा।
10. इस कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, खूँटी होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी संबंधित मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची होंगे।
11. इस कार्य के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं तथा मानको का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
12. झारखंड कोषागार संहिता के नियम-300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
13. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।
14. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
15. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(मुक्ति साधन चौरसिया)

उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक-3/पी.एम.सी./विविध/03/2015/पार्ट-II राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि: योजना -सह- वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड सरकार/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(मुक्ति साधन चौरसिया)

उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक-3/पी.एम.सी./विविध/03/2015/पार्ट-II राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी खूँटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(मुक्ति साधन चौरसिया)

उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक-3/पी.एम.सी./विविध/03/2015/पार्ट-II राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता योजना मोनितरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनितरिंग एवं आयोजन अंचल-3/ अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, राँची/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, खूँटी/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।



ह0/-

(मुक्ति साधन चौरसिया)

उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक-3/पी.एम.सी./विविध/03/2015/पार्ट-II राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि: आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/-

(मुक्ति साधन चौरसिया)

उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक-3/पी.एम.सी./विविध/03/2015/पार्ट-II राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री महोदय, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

(मुक्ति साधन चौरसिया)

उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक-3/पी.एम.सी./विविध/03/2015/पार्ट-II राँची, दिनांक-31.07.2017

प्रतिलिपि: वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(मुक्ति साधन चौरसिया)

उप सचिव (अभियंत्रण)